कार्यालय उप महाप्रबंधक (मा0सं0)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर.
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
Email – dgmhr.csptclraipur@cseb.gov.in Telefax no. 0771-2574299, Tele.no 0771- 2574297 /98

क्र. 02–14 / स.प्र. / 1763 रायपुर, दिनांक 16 SEP 2013

आदेश

प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित टेक्नीशियन अप्रेन्टिस के रूप में प्रशिक्षण के लिये रू. 2530 / –(रूपये दो हजार पांच सौ तीस) प्रति माह की दर से निश्चित वृत्तिका पर एक वर्ष की अवधि के लिये निम्नलिखित सामान्य नियम एवं शर्तो के अधीन उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति की तिथि से पदस्थ किया जाता है:–

क्र.	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	पदस्थापना स्थल
टेक्नीशियन अप्रेन्टिस (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)			
1.	निशा त्रिवेदी	प्रेमकांत त्रिवेदी	मुख्य अभियंता(परी.एवंसं.), रायपुर
2.	नेहा मांडले	महेन्द्र कुमार मांडले	मुख्य अभियंता(अ.उ.दा.नि.एवंसं.), रायपुर
टेक्नीशियन अप्रेन्टिस (सिविल)			
1.	मोहित देवांगन	गंगा राम देवांगन	मुख्य अभियंता(सिविल) मुख्या.संभाग, रायपुर

प्रशिक्षण नियुक्ति की सामान्य नियम एवं शर्तें:–

1. प्रशिक्षण अवधि में आवास, आवागमन का व्यय अभ्यर्थी स्वयं वहन करेंगे।
2. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को केवल कार्यालयीन समयावधि में प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
3. प्रशिक्षुओं को स्वयं के लिये चिकित्सा सुविधा जहां कंपनी के चिकित्सालय उपलब्ध है, मात्र वही दी जावेगी तथा किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं की जावेगी।
4. प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रशिक्षु का मण्डल में नियुक्ति का कोई दावा नहीं रहेगा।
5. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को कंपनी के नियमानुसार 13 दिन आकस्मिक अवकाश एवं दस दिवस चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।
6. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु का कार्य / व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण / नियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान संयंत्र में कोई घटना / दुर्घटना की स्थिति में प्रशिक्षु को कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
7. एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरांत प्रशिक्षु को शिक्षु प्रशिक्षण मंडल (पश्चिमी क्षेत्र) मुंबई द्वारा दक्षता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसकी मान्यता एक वर्ष के कार्य अनुभव के बराबर होती है।
8. प्रशिक्षुओं को आदेश जारी होने की तिथि से दस दिनों भीतर पदस्थ किये गये कार्यालय में अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु पंजीयन कार्ड(Apprenticeship Contract Registration Card)(संलग्न) में तीन प्रतियों में तथा बैंक संबंधी जानकारी (संलग्न प्रपत्र में) दो प्रतियों में पूर्ण कर पदस्थ कार्यालय में उपस्थिति के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार

उप महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.पारेषण कं.मर्या.रायपुर.

क्र. 02—14/स.प्र./1764 रायपुर, दिनांक 16 SEP 2013

प्रतिलिपिः—

1. सहायक निदेशक, शिक्षु प्रशिक्षण मंडल(पश्चिमी क्षेत्र), एटीआई कैम्पस, सायन ट्राम्बे रोड मुंबई — 400022
2. मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक (..............................), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (..............................), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0,........................।
4. कार्यपालन अभियंता, (..............................), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0,........................।
5. सहायक अभियंता, (..............................), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0,........................।
6. स्टाफ आफिसर संबद्ध अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक(पारे0), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर।
7. प्रबधक (क्षे0ले0अ0—मुख्यालय), छ0रा0वि0पारेषणकं0मर्या0. रायपुर।
8. लेखाधिकारी (क्षे0ले0अ0) छ0रा0वि0पारेषणकं0मर्या0. रायपुर/बिलासपुर।
9. श्री/श्रीमति/कु0 .... पता ....।

टिप्पणी :— (सरल क0 3 एवं 4 के लिए)

1. प्रशिक्षु द्वारा जमा किया गया पंजीयन कार्ड(Apprenticeship Contract Registration Card) दो प्रतियों में एवं बैक विवरणी एक प्रति में सीधे इस कार्यालय को 7 दिनों में प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. प्रशिक्षु की मासिक उपस्थिति पत्रक में Email द्वारा अथवा फैक्स द्वारा माह की 3 तारीख तक भेजने का कष्ट करें, ताकि प्रशिक्षु के शिक्षुवृति(stipend) का भुगतान इस कार्यालय द्वारा सीधे प्रशिक्षुओं को बैंक खाते में किया जा सके।

16-9-13

प्रबंधक (मा0सं0)

कार्या.उप महाप्रबंधक (मा0सं0)

छ.रा.वि.पारेषणकं.मर्या.रायपुर.